हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग

वार्षिक

प्रशासनिक रिपोर्ट

2013—2014

विषय सूचि

पृष्ठ

1.	अध्याय–1	परिचय
2..	अध्याय–2	संगठनात्मक ढांचा
3.	अध्याय–3	श्रम तथा श्रम कल्याण
4.	अध्याय–4	रोज़गार खण्ड
5.		बजट/वास्तविक खर्च वर्ष 2013–14
6.		सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अर्न्तगत अधिसूचना दिनांक 10–4–2007
7.		सूचना का अधिकार अधिनियम के अर्न्तगत 28 अप्रैल,2014 की स्थिति दर्शाती विभागीय ए0पी0आई0ओ0,पी0आई0ओ0 व एपीलेट अथोरिटी का विवरण

श्रम एवं रोज़गार विभाग की वित्त वर्ष 2013–2014 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

अध्याय–1

परिचय

श्रम एवं रोज़गार विभाग, वर्ष 1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है–तब से हिमाचल प्रदेश के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आशावादी लोगों की सेवा में दृढ़ संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग में मुख्यतः तीन खण्ड–श्रम व कारखाना एवं रोज़गार है। श्रम खण्ड का मुख्य कार्य, श्रम कानूनों, जिनकी संख्या 29 (केन्द्रीय एवं राज्य) है, को प्रभावी ढंग से लागू किया जाना तथा नियोक्ताओं एवं श्रमिकों के मध्य शांतिपूर्ण सम्बन्ध बनाये रखने में योगदान करना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को शीघ्रता से निपटाने हेतु स्थापित दो श्रम न्यायालय एंव औद्योगिक प्राधिकरणों में दो पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय शिमला व धर्मशाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाता है।

रोज़गार खण्ड का मुख्य कार्य हिमाचल प्रदेश में रोज़गार प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों का रोज़गार कार्यालय में पंजीकरण, मार्गदर्शन तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं द्वारा अधिसूचित रिक्तियों के समक्ष नाम सम्प्रेषित करना एवं मार्गदर्शन देना इत्यादि हैं। इसके अतिरिक्त रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवाय अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम 1960 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोजगार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2013–2014 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्यौरा, बजट विवरण एंव सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित सूचना इस प्रशासनिक रिपोर्ट के अगले भागों में दी गयी है।

अध्याय–2

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा

2013–14 मेंश्रम एवं रोज़गार विभाग ने माननीय उद्योग श्रम एवं रोज़गार मंत्री की देख रेख में कार्य किया जो इस विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में प्रधान सचिव (श्रम एवं रोज़गार) तथा अवर सचिव (श्रम एवं रोज़गार) द्वारा सहयोग दिया गया।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के निदेशालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार ''विभागाध्यक्ष'' के रूप में कार्यरत हैं।

निदेशालय स्तर पर विभाग मुख्यतः तीन भागों में विभाजित हैः–

1.(क) निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्य श्रमायुक्त की देखरेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप–श्रमायुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत श्रमायुक्त को ''मुख्य कारखाना निरीक्षक'' घोषित किया गया हैं तथा संयुक्त–श्रमायुक्त ''अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक'' एंव उप–श्रमायुक्त ''उप मुख्य कारखाना निरीक्षक'' घोषित किये गये हैं।

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 को कार्यान्वित करने के लिये दो उप निदेशक कारखाना के पद सृजित हैं जिनमें से एक शिमला में तथा एक ऊना में स्वीकृत है। एक पद सहायक निदेशक (कारखाना) रसायन का रिक्त है।

इन का कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित हैः–

1. <u>उप निदेशक कारखाना–शिमला</u>
   जिला–शिमला, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन (बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ के औद्योगिक क्षेत्र को छोडकर)।

2. <u>उप निदेशक कारखाना, ऊना</u>
   जिला–कांगडा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, मण्डी, कुल्लु, लाहौल–स्पीति व सिरमौर तथा बद्दी, बरोटीवाला तथा नालागढ़ का औद्योगिक क्षेत्र।
   उप निदेशक (कारखाना), शिमला, निदेशालय का कार्य जो कि कारखाना खण्ड से सम्बन्धित है, भी देख रहे हैं।

(ग) इसी प्रकार निदेशालय स्तर पर रोज़गार से सम्बन्धित कार्य–कलापों के लिये निदेशक रोज़गार की देख रेख में उप–निदेशक रोज़गार, रोज़गार बाजार सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी (स्थापना) विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु), राज्य व्यवसायिक मार्गदर्शन अधिकारी तथा रोज़गार अधिकारी (केन्द्रीय रोज़गार कक्ष) आवेदकों को रोज़गार सहायता उपलब्ध करवाने तथा व्यवसायिक मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु सहायता करते हैं।

2. <u>श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरणः</u>

(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 12 श्रम अधिकारी तथा 33 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं। श्रम अधिकारी तथा उनके कार्यक्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

1. श्रम अधिकारी, शिमला	उप–मण्डल शिमला (शहरी एंव ग्रामीण), उप मण्डल चौपाल एंव ठियोग तहसोल
2. श्रम अधिकारी, रामपुर	रामपुर, रोहडू तथा डोडरा–क्वार उप–मण्डल तथा कुमारसैन तहसील जिला शिमला तथा उप–मण्डल आनी जिला कुल्लू
3. श्रम अधिकारी, सोलन	उप–मण्डल सोलन, कण्डाघाट, अर्की तथा कसौली तहसील (बद्दी–बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र को छोडकर)

4. श्रम अधिकारी, बद्दी	तहसील नालागढ़ तथा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला
5. श्रम अधिकारी, नाहन	जिला सिरमौर
6. श्रम अधिकारी, मण्डी	जिला मण्डी
7. श्रम अधिकारी, कुल्लू	जिला कुल्लु, (उप–मण्डल आनी को छोड़कर) उदयपुर तथा केलांग उप–मण्डल
8. श्रम अधिकारी, किन्नौर	जिला किन्नौर व उप मण्डल काजा
9. श्रम अधिकारी, धर्मशाला	जिला कांगडा
10.श्रम अधिकारी, चम्बा	जिला चम्बा
11.श्रम अधिकारी, बिलासपुर	जिला बिलासपुर एवं हमीरपुर
12.श्रम अधिकारी, ऊना	जिला ऊना

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत प्रदेश को दो खण्डों में विभाजित किया गया ह। इनमें से एक खण्ड का मुख्यालय शिमला में स्थापित है जबकि दूसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है ।

(ग) रोज़गार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन ब्यूरो, 9 जिला रोज़गार कार्यालय तथा 55 उप–रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न है :–

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
1.	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, शिमला	कुमारसैन, मशोबरा, ठियोग, रामपुर–बुशैहर, रोहडू, जुब्बल, सुन्नी, चौपाल, चिड़गांव, डोडराक्वार तथा कुपवी
2.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, मण्डो	सुन्दरनगर, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, तथा गोहर
3.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, धर्मशाला	पालमपुर, ज्वाली, नुरपुर, लम्बागांव, नगरोटा सूरियॉ, बैजनाथ, इन्दौरा, बडोह, देहरा, फतेहपुर एवं डाडासीबा
4.	जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा	डलहौजी, भरमौर, पांगी, चुवाड़ी, तीसा एवं सलूणी स्थित सुन्डला
5.	जिला रोज़गार कार्यालय, हमीरपुर	नदौन, भौरंज, बडसर एवं सुजानपुर
6.	जिला रोज़गार कार्यालय, बिलासपुर	घुमारवीं एवं श्री नैना देवी जी
7.	जिला रोज़गार कार्यालय, कुल्लु	बंजार एवं आनी
8.	जिला रोज़गार कार्यालय, सोलन	नालागढ, अर्की एवं कसौली
9.	जिला रोज़गार कार्यालय, नाहन	पांवटा–साहिब, राजगढ़, शिलाई, संगड़ाह, सराहां एवं कमराऊ
10.	जिला रोज़गार कार्यालय, केलॉग	काज़ा एवं उदयपुर
11.	जिला रोज़गार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांग पीओ	पूह एवं निचार
12.	जिला रोज़गार	अम्ब

कार्यालय, ऊना

13. सूचना एंव मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0 विश्वविद्यालय, शिमला — इस कार्यालय के अधीन कोई कार्यालय नहीं है।

14. सूचना एंव मार्गदर्शन केन्द्र हि0 प्र0 विश्वविद्यालय, पालमपुर — –यथोपरि –

3. वर्ष 2013–2014 में श्रम एवं रोजगार विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/नियुक्ति तथा पदोन्नति का विवरणः

सेवानिवृत्तियों का ब्यौरा :

क्रमांक	श्रेणी	सेवानिवृत्त की संख्या
1.	प्रथम श्रेणी	1
2.	द्वितीय श्रेणी	3
3.	तृतीय श्रेणी	3
4.	चतुर्थ श्रेणी	2

नई नियुक्ति का ब्यौराः

क्रमांक	पद/श्रेणी	नियुक्त कर्मचारी की संख्या
1.	लिपिक नियमित LDR से	1

पदोन्नतियों का ब्यौराः

क्रमांक	प्द	पदोन्नतियों की संख्या
1.	संयुक्त श्रमायुक्त	1
2.	अधीक्षक ग्रेड–I	2
3.	विधि अधिकारी	1
4.	श्रम अधिकारी	1
5.	वरिष्ठ सहायक	3
6.	संयुक्त श्रमायुक्त	2

सुनिशिचित प्रगतिशील जीविका योजना के अर्न्तगत प्रवीणता वेतन वृद्वि दी गईः

क्रमांक	पद/श्रेणी	प्रवीणता वेतन वृद्वि की संख्या
1.	प्रथम श्रेणी	12
2.	द्वितीय श्रेणी	12

अनुबन्ध कर्मचारियों से नियमित किये गये कर्मचारी का ब्यौराः

क्रमांक	नियुक्त कर्मचारी की संख्या	नियुक्त कर्मचारी की संख्या
1.	तृतीय श्रेणी	7
2.	चतुर्थ श्रेणी	2

पात्र अंशकालिक कर्मचारियों से 5 दैनिक भोगी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनाये गये

4. <u>श्रम एवं रोज़गार विभाग में सृजित एवं भरे हुये पदों का ब्यौराः</u>

श्रम एवं रोज़गार विभाग में कुल 411 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 31–3–2014 को 108 पद रिक्त है जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	श्रमायुक्त एवं निदेशक रोज़गार (भा॰प्र॰से॰)	1	–
2.	पीठासीन अधिकारी	2	–
3.	संयुक्त श्रमायुक्त	1	–
4.	उप श्रमायुक्त	1	–
5.	उप निदेशक रोज़गार	1	1
6.	सहायक निदेशक कारखाना (रसायन)	1	1
7.	क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी	3	3
8.	जिला रोज़गार अधिकारी	10	2
9.	अधीक्षक ग्रेड–1	1	–
10.	श्रम अधिकारी	12	–
11.	रोज़गार अधिकारी	10	5
12.	विधि अधिकारी	1	–
13	निजि सहायक	1	1
14.	अधीक्षक ग्रेड–II	12	5
15.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2	1
16.	वरिष्ठ सहायक	62	5
17.	सांख्यिकीय सहायक	11	1
18.	श्रम निरीक्षक	33	1
19.	कम्पयूटर ऑप्रेटर	1	–
20.	कनिष्ठ आशुलिपिक	1	–
21.	आशुटंकक	4	–
22.	चालक	5	–
23.	लिपिक/कनिष्ठ सहायक	128	54
24.	दफतरी	4	1
25.	चौकीदार	13	3
25.	चपड़ासी	83	20

27.	सफाई कर्मचारी	4	4
28.	फ्राश	1	—
	जोड़	411	108

अध्याय–3
श्रम तथा श्रम कल्याण

श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों को सुविधा के लिये दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोज़गार खण्ड में रोजगार कार्यालयों की गतिविधियां हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

श्रम खण्ड

हिमाचल प्रदेश में श्रम खण्ड का कार्य, 26 केन्द्रीय तथा 2 राज्य श्रम अधिनियमों एंव नियम के प्रावधानों को प्रदेश में लागू करना है। इन श्रम कानूनों में कारखानों, विभिन्न संस्थानों एंव विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों की सेवा शर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के विस्तृत रूप में प्रावधान किये गये हैं। इन कारखानों/संस्थानों में औद्योगिक शान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध, गुणवत्ता, उत्पादकता को सुनिश्चित करन और इन क्षेत्रों में विकास/उन्नति सुनिश्चित करने के भी प्रावधान किये गये हैं। कामगारों को सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो, बाल श्रमिक एंव बन्धुआ मज़दूरी पर रोक लगे, इस सम्बन्ध में भी प्रावधान है। इन सबको सुनिश्चित करने के लिये श्रम विभाग क अधिकारी एंव निरीक्षक समय समय पर निरीक्षण करते हैं, अवहेलना करने वालों के विरूद्व सक्षम न्यायालयों में अभियोग चलाये जाते हैं। औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये कामगारों एंव संस्थान मालिकों/प्रबन्धकों के मध्य हस्तक्षेप करते हैं एंव उचित परामर्श देते हैं तथा जो भी शिकायतें विभिन्न स्तर पर प्राप्त होती हैं उनका निवारण भी करते हैं। श्रम खण्ड में ही कारखाना शाखा भी है जिसके द्वारा कारखाना अधिनियम,1948 एंव उसके अर्न्तगत बनाये गये नियमों के अर्न्तगत कारखानों का पंजीकरण, नवींकरण और कामगारों की सुरक्षा, दर्घटनायें रोकने और उनकी सेवा शर्तों का कार्यान्वयन, सुनिश्चित किया जाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रम स्थिति

औद्योगिक सम्बन्धों का विषय महत्वपूर्ण है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती,जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अर्न्तगत समझौता व्यवस्था, औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निपटाने में और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। 10 जिला मुख्यालयों पर स्थित श्रम अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी (परियोजना) रामपुर बुशैहर और श्रम अधिकारी बद्दी को भी अपने–अपने क्षेत्र के लिये समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में जहां श्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं वहां पर जिला रोज़गार अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जहां पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक भी समझौता अधिकारी के रूप में औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहां पर श्रम अधिकारी, उप–श्रमायुक्त/संयुक्त–श्रमायुक्त और श्रमायुक्त औद्योगिक विवादों को निपटाने में हस्तक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अर्न्तगत, जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार कार्यरत हों, उन संस्थानों द्वारा वर्कस कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। यह वर्कस कमेटियॉ भी औद्योगिक शान्ति बनाने में सहायक सिद्ध होती है। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः वर्ष 2013–2014 में हिमाचल प्रदेश की श्रम स्थिति संतोषजनक रही है ।

31.3.2014 तक श्रम खण्ड में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कामगारों की संख्या
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	4,796	3,12,382
2.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	126	7,745
3.	ट्रेड यूनियनज अधिनियम,1926	1,267	12,176
4.	बागान अधिनियम, 1951	17	225
5.	अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार अधिनियम,1979 (क) मुख्य नियोजक	114	15,626
	(ख) ठेकेदार	142	5,570
6.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 (क) मुख्य नियोजक	1,148	1,39,542
	(ख) ठेकेदार	4,770	1,49,705
7.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना) 1948	8,261	10,12,158
8.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम,1952	5,429	2,34,012

सांख्यिकीय रचनायें

श्रम खण्ड की 31–3–2014 तक की उपलब्धियों/कार्यों का ब्यौरा नीचे दी गई तालिकाओं में वर्णित है।

विभिन्न अधिनियमों के प्रावधानों की उल्लघंना पाये जाने पर विभाग द्वारा सम्बन्धित न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में अभियोग दायर किये गये जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः–

तालिका–1

क्रमांक	अधिनियम का नाम	1.4.2013 से 31.3.2014 तक किये गये निरीक्षणों की संख्या	1.4.2013 से 31.3.2014 तक न्यायालय में दायर किये गये चालानों की संख्या	1.4.2013 से 31.3.2014 तक न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि (रूपये)
1	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	8,048	1,235	764	9,73,357
2	वेतन भुगतान अधिनियम,1936	4,200	216	144	2,95,950
3	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	4,284	207	144	99,200
4	कारखाना अधिनियम,1948	1,631	96	57	4,45,550
5	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज़ अधिनियम,1961	107	2	5	5,000
6	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	1,326	56	51	69,600
7	समान वेतन अधिनियम, 1976	532	0	0	0
8	उपादान भुगतान अधिनियम,1972	1,148	6	4	46,000
9	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	1,117	2	3	2,200
10	प्रसूति लाभ अधिनियम,1961	708	2	1	200
11	हिमाचल प्रदेश औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय आक्स्मिक एवं बीमारी अवकाश) अधिनियम,1969	1,172	5	6	3,050
12	अर्न्तराज्य प्रवासी सेवा कर्मकार अधिनियम,1979	201	8	8	12,500
13	बाल श्रमिक (निषेद्ध एंव विनियम) अधिनियम,1986	3,679	13	5	56,000
14	औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेश) अधिनियम,1946	570	1	0	0
15	भवन एंव अन्य सनिर्माण कामगार अधिनियम,1996	935	37	43	2,77,100
16	चाय बागान अधिनियम,1951	6	0	0	0
	कुल	29,665	1,879	1,232	22,79,207

तालिका–2

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पिछले अनिर्णित मामले	31.3.14 तक प्राप्त मामले	कुल मामलों की संख्या (खाना संख्या 3 एंव 4)	31.3.14 तक निर्णित मामलों की संख्या	31.3.2014 को अनिर्णित मामलों की संख्या	मामलों की संख्या जिनकी ऐपीलेंट आथोरिटी के पास अपील की गई है।
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
उपादान अदायगी अधिनियम,1972							
(i)	नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा प्राप्त एंव निपटाये गये मामलें	72	147	219	127	97	1
(ii)	एपीलेट अथोरिटी द्वारा निपटाई गई अपीलों का ब्यौरा	23	17	40	9	31	विचाराधीन

तालिका–3

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

क्रमांक	31.3.2013 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या	1.4.2013 से 31.3. 2014 तक प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	कुल मांग पत्रों की संख्या (खता संख्या 2 व 3)	समझौते के दसैरान धारा 12 (3) के तहत निपटाये गये मांग पत्र	विवादों/मसंग पत्रों की संख्या जा 12(4) के अधीन भेजे गयें	31.3.2014 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या
1	1,470	1,384	2,854	737	1,367	750

तालिका–4

कमांक	अधिनियम का नाम	
1	औद्योगिक रोज़गार (स्टैंडिग आरडरज़) अधिनियम,1946	
	अधिनियम के अर्न्तगत आने वाले संस्थान 2,290	प्रमाणित स्टैंडिंग आर्रडरज़ की संख्या 268

तालिका–5

दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969

अधिनियम के अधीन बाजा़रों की संख्या	31.3.2014 के अन्त में दुकानों की संख्या	कामगारों की संख्या	31.3.14 के अन्त में वाणिज्य संस्थानों की संख्या	31.3.14 के अन्त में कामगारों को संख्या	31.3.14 तक कुल संस्थानों की संख्या	कुल कामगारों की संख्या
121	60,083	24,390	12,135	22,075	72,218	46,465

तालिका–6

विभिन्न अधिनियमों में प्राप्त शिकायतें

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31.3.2014 को लम्बित शिकायतों की संख्या	1.4.2013 से 31.3.2014 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग (खाता संख्या 3 व 4)	श्रम निरक्षकों द्वारा निर्णित शिकायतों की संख्या	श्रम निरीक्षकों द्वारा भुगतान करवाई गई धनराशि (` में)	लाभान्वित कामगारों की संख्या	31.3.2014 को अनिर्णित मामलों की संख्या
1.	वेतन भुगतान अधिनियम,1936	340	905	1,245	947	36568382	2,421	298
2.	हि0प्र० दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम,1969	3	4	7	3	39,886	7	4
3.	हि०प्र० लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम	9	27	36	22	9,11,383	166	14
4.	न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948	0	3	3	3	96,240	39	0

तालिका–7

कारखाना अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत दिनांक 1.4.2013 से 31.3.2014 तक किये गये कार्य का विवरण

31.3.2013 तक पंजीकृत कारखानों की संख्या	1.4.2013 से 31.3.2014 तक पंजीकृत नये कारखानों की संख्या	31.3.2014 को कुल पंजीकृत कारखानों की संख्या	31.3.2014 को कुल पंजीकृत कारखानों में प्रस्तावित कामगारों की संख्या
1.	2.	3.	4.
4,592	204	4,796	3,12,382

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947

औद्योगिक विवाद अधिनियम,1947 के अर्न्तगत निदेशालय स्तर पर 31.3.2013 को 664 विवाद सन्दर्भ हेतु लम्बित थे। वित्त–वर्ष 2013–14 के दौरान 938 विवाद उक्त अधिनियम की धारा 12 (4) के अर्न्तगत निदेशालय में प्राप्त हुये, अतः कुल विवाद 2,111 हो गये। इस वित्त वर्ष के दौरान 468 मामले विभिन्न श्रम न्यायालयों को निर्णय हेतु भेजे गये तथा उक्त अधिनियम की धारा 12 (5) के अर्न्तगत 824 निरस्त किये गये तथा 31.3. 2014 को 819 मामले शेष हैं।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने भिन्न–भिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये निम्नलिखित बोर्ड और समितियों का समय–समय पर गठन किया जाता है।

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बोर्ड / समिति का नाम	गठन का उद्देश्य
1	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संशोधन/ निर्धारण बारे में सरकार को परामर्श देना।
2	समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	सलाहकार समिति	स्त्रियों को रोजगार के अवसरों तथा लिंग के आधार पर वेतन विसंगतियों को दूर करने बारे सरकार को परामर्श देना।
3	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970	राज्य सलाहकार श्रम ठेका बोर्ड	ठेकेदारी वर्ग पद्वति पर जहाँ पर सम्भव हो सके, रोक लगाना, और जहां रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनियम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिशें सरकार को देना।

4	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1970	राज्य ठेका सलाहकार समिति	समिति द्वारा ठेका उन्मूलन बारे जांच पड़ताल करना तथा इस सम्बन्ध में ठेका सलाहकार बोर्ड को अपनी सिफारिशें देना।
5	(क) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना) 1948	क्षेत्रीय बोर्ड ई0 एस0 आई0	कर्मचारी बीमा एवं स्वास्थ्य/ पैन्शन योजनाओं को प्रदेश में कार्यन्वयन एवं विस्तार सम्बन्धी कार्य करना। क्षेत्रीय कर्मचारी राज्य बीमा बोर्ड का गठन हिमाचल प्रदेश में ई• एस• आई• स्कीम को सही रूप से लागू करने के उद्देश्य से किया गया है ताकि कामगारों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके।
	(ख) कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (योजना)1948	स्थानीय समितियॉ	कर्मचारी राज्य बीमा योजना का सुचारू रूप से संचालन तथा कार्यान्यवन एवं विस्तार सम्बन्धित कार्य करना।
6	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	क्षेत्रीय समिति ई० पी० एफ० हिमाचल प्रदेश	कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम का सुचारू रूप से संचालन तथा कार्यन्यवन एवं विस्तार करने के लिये कार्यवाही करना।
7	केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड	क्षेत्रीय सलाहकार समिति	कामगारों को शिक्षा देने बारे।
9.	बन्धुआ मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1976	जिला तथा सभी उप मण्डल स्तरों पर सर्तकता समितियॉ	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना, उन्मूलन/पुर्नवास सम्बन्धित कार्यवाही ।
9.	बन्धुआ मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम,1976	राज्य स्तरीय पड़ताल समिति (बन्धुआ मजदूरी)	बन्धुआ मजदूर प्रथा के सफलतापूर्ण उन्नमूलन बारे।
10..	बाल श्रम (उन्मूलन एंव विनियम) अधिनियम,1986	राज्य स्तरीय समिति	बाल श्रम मजदूर प्रथा के सफलतापूर्ण उन्नमूलन बारे।
11.	भवन एंव अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगूलेशन ऑफ एम्पलायमैन्ट एण्ड कन्डिशन ऑफ सर्विस) एक्ट,1996 (रोज़गार सेवाओं का विनियम एंव सेवा शर्तें) अधिनियम,1986	राज्य स्तरीय बोर्ड	हि0 प्र0 भवन एंव सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों के कल्याण के लिये हि0 प्र0 भवन एंव सन्निमाण कामगार बोर्ड का गठन किया गया है।

10.विद्युत परियोजनाओं में औद्योगिक शान्ति बनाये रखने के लिये गठित बोर्ड/समितियाँ

(क) राज्य स्तरीय त्रिपक्षीय जल विद्युत परियोजनाऐं बोर्ड/समिति	औद्योगिक शान्ति को सुनिश्चित करने के लिये प्रबन्धकों व कामगारों में समन्वय स्थापित करना।
(ख) जिला स्तरीय त्रिपक्षीय जल विद्युत परियोजनाऐं बोर्ड/समिति	उक्त समिति विभिन्न विद्युत परियोजनाओं के कामगारों की समस्याओं पर ध्यान देगी तथा परियोजनाओं के नियन्त्रण पर नजर रखेगी तथा इनको पूरा करवाना सुनिशचित करेगी ।
(ग) परियोजना स्तरीय त्रिपक्षीय जल विद्युत परियोजनाऐं बोर्ड/समिति	श्रम अधिनियमों के अर्न्तगत निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों/विवरणीयां के सरलीकरण तथा कमी करने बारे।

न्यूनतम वेतन निर्धारण

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुर्ननिधारण, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अर्न्तगत होता है। हिमाचल प्रदेश सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड का पुर्नगठन करती रही है। इसका उद्देश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संशोधन करने में परामर्श देना है। हिमाचल प्रदेश सरकार नें विभिन्न अधिसूचित व्यवसायों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के वेतन में वित्तीय वर्ष 2013–14 में कोई संशोधन नहीं किया है। न्यनूतम वेतन अधिनियम,1948 के अर्न्तगत निम्नलिखित 11 व्यवसाय अधिसूचित हः–

1. कृषि
2. सड़क और भवन निर्माण पत्थर पिसाई/क्रशिंग/पत्थर तुड़ान
3. फौरेस्टरी एंव टिम्बरिंग आप्रेशन
4. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट
5. दुकान एंव वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय
6. रसायन और रसायन उत्पाद
7. इन्जीनियरिंग उद्योग
8. चाय बागान
9. विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 के खण्ड (क) में परिभाषित।
10. होटल/रेस्टोरैंट
11. निजि शैक्षणिक संस्थान

1. इसके अतिरिक्त सुरंग के अन्दर कार्यरत कामगारों को मजदूरी की न्यूनतम वेतन की दरों पर 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय है।

2. हिमाचल प्रदेश के गैर जन–जातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन जल–विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय है।

3.. हिमाचल प्रदेश के जन–जातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ोतरी देय है अगर निर्माणाधीन जल–विद्युत परियोजनाऐं/जन जातीय क्षेत्र में हैंतो इसमें कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त बढ़ोतरी देय है।

कृषि व्यवसाय में कार्यरत अकुशल कामगारों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोज़गार अधिकारियों को तथा सांख्यिकीय सहायक (श्रम) को भी ''निरीक्षक'' नियुक्त किया है यदि निरीक्षक स्तर पर न्यूनतम वेतन एंव वेतन भुगतान सम्बन्धी शिकायतों का समय पर निपटारा नहीं होता है तो सरकार ने अपने–अपने अधिकार क्षेत्र सभी न्यायिक मजिस्द्रेटों /सिविल न्यायधीशों को न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 तथा वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अर्न्तगत सुनवाई करने और निर्णय करन के लिये प्राधिकारी नियुक्त किया गया है।

बन्धुआ मजदूरों के पुर्नवास के लिये योजनाः

बन्धुआ मजदूर के पुर्नवास के लिये योजना बनाई गई है। बन्धुआ मजदूर अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत सभी जिला तथा उप मण्डल स्तर पर बन्धुआ मजदूरी से सम्बन्धित शिकायतों का निपटारा करने के लिये सर्तकता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के किसी भी जिले में अभी तक बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है। बन्धुआ मजदूरों के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई थीं जिनकी जॉच करवाई गई लेकिन ऐसा कोई भी मामला सामने नहीं आया जो बन्धुआ मजदूर की परिभाषा में आता हो।

बाल श्रमिकों का उन्मूलन कार्यक्रम :

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बाल श्रमिकों के उन्मूलन के लिये प्रदेश के 10 अन्य विभागों के अधिकारियों को बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 के अर्न्तगत निरीक्षक की शक्तियॉ प्रदान की गई हैं, जिसका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्रम संख्या	टधिकारी का नाम/पद	विभाग का नाम
1.	समस्त उप–मण्डल अधिकारी, हि0प्र0	राजस्व
2.	आयुक्त, नगर निगम, शिमला	स्थानीय निकाय
3.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हि0प्र0	ग्रामीण विकास व पंचायती राज
4.	समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, हि0प्र0	राजस्व
5.	समस्त महा–प्रबन्धक/ प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हि0प्र0	उद्योग
6.	समस्त श्रम अधिकारी, हि0प्र0	श्रम एंव रोजगार
7.	समस्त जिला रोजगार अधिकारी, हि0प्र0	–उक्त–
8.	समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पंचायत हि0प्र0	स्थानीय निकाय

9.	समस्त हैड कॉंस्टेबल एंव उससे उपर के पुलिस अधिकारी, हि0प्र0	पुलिस
10.	समस्त जिला/तहसील कल्याण अधिकारी, हि0प्र0	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
11.	समस्त जिला प्रोग्राम अधिकारी, हि0प्र0	–उक्त–
12.	सम्स्त बाल विकास एवं प्रोजैक्ट अधिकारी, हि0प्र0	–उक्त–
13.	समस्त पंचायत निरीक्षक, हि0प्र0	ग्रामीण विकास व पंचायती राज
14.	समस्त जिला/सहायक पर्यटन विकास अधिकारी, हि0प्र0	पर्यटन
15.	स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम	स्थानीय निकाय
16.	समस्त जिला/सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
17.	समस्त माप एवं तोल निरीक्षक, हि0प्र0	माप एवं तोल
18.	आबकारी एंव कराधान अधिकारी/आबकारी निरीक्षक, हि0प्र0	आबकारी एवं कराधान

भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनिमय) एक्ट, 1996.

भवन व अन्य सनिर्माण गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार ने राज्य में भवन एंव अन्य निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनिमय) अधिनियम, 1996 के अर्न्तगत हि0प्र0 भवन एंव अन्य निर्माण कामगार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 बनाये हैं, जिन्हें दिनांक 4–12–2008 को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा–18 के अर्न्तगत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे कामगारों के कल्याण हेतू हि0 प्र0 भवन एंव अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 5–3–2009 को किया है। यह बोर्ड भवन एंव निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पैन्शन सुविधा, प्रसूति लाभ, मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु अग्रिम राशि, अपंगता पैन्शन, औज़ार खरीदने हेतु ऋण, अन्तिम संस्कार सहायता, मृत्यु प्रसुविधा लाभ, चिकित्सा सहायता, शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, शादी हेतु वित्तीय सहायता, पारिवारिक पैन्शन एंव व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जन श्री बीमा योजना, भवन एंव अन्य सन्निर्माण कामगारों के लिये पारगमन आवास सुविधा और महिला लाभर्थियों के लिये साईकल प्रदान करना कैरोसीन/डीज़ल स्टोव भत्ता और कामगारों के बच्चों के लिये (25–35 वर्ष) कौशल विकास भत्ता इत्यादि कल्याणकारी योजनाओं के अर्न्तगत लाभ प्रदान करता है। भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम,1996 और उसके अर्न्तगत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार जो भी भवन एंव अन्य सन्निर्माण सम्बन्धित कार्य होगें उनके कुल व्यय का 1 प्रतिशत उपकर उपरोक्त कल्याण बोर्ड में जमा होगा तथा इस कल्याण निधि से उपरोक्त लाभकारी योजनाओं का संचालन सुनिश्चित किया जाता है। प्रत्येक कामगार जिसने पूर्व 12 मास के दौरान 90 दिन या अधिक दिनों तक भवन एंव अन्य सन्निर्माण कार्य किया हो वह बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एंव लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

कामगारों को पहचान–पत्र प्रदान करना:

श्रम विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी औद्योगिक ईकाईयों व निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कामगारों व ठेका श्रमिकों को,

कारखाना व परियोजना के प्रबन्धक पहचान–पत्र कामगारों को जारी कर रहे हैं जिनका सत्यापन सम्बन्धित श्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। पहचान पत्रों को प्रदान करने के लिये हिमाचल प्रदेश न्यूनतम वेतन नियम, हिमाचल प्रदेश श्रम ठेका नियम, हिमाचल प्रदेश अर्न्तराज्य प्रवासी कामगार नियम तथा औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) नियम में संशोधन किया गया है जिससे कामगारों को पहचान पत्र जारी करने के लिये प्रावधान है।

कर्मचारी भविष्य निधि एंव विविध प्रावधान अधिनियम,1952

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, शिमला में स्थित है। इस योजना के अर्न्तगत कारखाने तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंशदान का प्रावधान है। यह अधिनियम उन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या इससे अधिक है। इस समय इस योजना के अर्न्तगत 5,429 संस्थानों में 2,34,012 कर्मचारियों को लाया जा चुका है ।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948

यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निःशुल्क चिकित्सा और प्रसुति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे शैडों में लागू नहीं होता। जिन श्रमिकों का मासिक वेतन 15,000/– रूपये से अधिक है वह इसके अर्न्तगत नहीं आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के अंशदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेश सरकार देती है। यह योजना जिला सोलनः–(1) सोलन (2) बरोटीवाला (3) बद्दी (4) परवाणु (5) नालागढ़, जिला सिरमौरः–(1) पांवटा साहिब (2) काला अम्ब, जिला ऊनाः–(1) मैहतपुर (2) बाथड़ी (3) गगरेट (4) नंगल खुड़द, (5) टाहलीवाल, (6) बाथु, (7) श्यामपुरा, (8) गौन्दपुर, (9) जयचन्ड, (10) सीमा, (11) देवली, (12) जीतपुर, (13) बहेड़ी, (14) शिवपुर , (15) टटेरा, (16) जलग्राम, (17) टिब्बा, (18) बैहडाला तथा जिला शिमलाः–(1) शिमला नगर निगम क्षेत्र एवं शोघी औद्योगिक क्षेत्र, जिला बिलासपुर में गोलथाई औद्योगिक क्षेत्र तथा जिला मण्डीः (1) मण्डी (2) रती (3) नेरचौक (4) भंगरोटू (5) चक्कर एंव (6) गुटकर एंव जिला कांगड़ा के (1) तहाल, (2) रौड़ी, (3) संसारपुर (4) महाल रौड़ी में लागू है। श्रमिकों के लिये मैहतपुर, बरोटीवाला, सोलन और बददी में डिस्पैन्सरियों के अतिरिक्त परवाणु में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल भी कार्य कर रहा है। इसके साथ क्षेत्रीय निदेशक ई0एस0आई0 कारपोरेशन का कार्यालय परवाणु (ई0एस0आई0 कौम्पलैक्स) में स्थित है। इसके अतिरिक्त जिला सोलन के बद्दी में ई0एस0आई0 कारपोरेशन का सुपर स्पैशलिटि अस्पताल बन चुका है और जिला मण्डी में ई0एस0आई0 कारपोरेशन का सुपर स्पैशलिटि अस्पताल एंव मैडिकल कॉलेज बन चुका है। इसके अतिरिक्त यह अधिनियम दाड़लाघाट, बागा, बटेड़ एंव सुहली दवारूखाना रौड़ी में भी लागू हो चुका है।

कामगारों के लिये शिक्षा योजना

कामगारों को श्रम अधिनियमों एंव नियमों में निहित सेवा शर्तें, सुरक्षा, कल्याण,सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में अवगत करवाना तथा उत्पादकता, औद्योगिक सम्बन्ध और दायित्व एंव कर्तव्यों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक है।

कामगारों को उनके कर्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन शिक्षित किया जाता है। कामगारों को शिक्षित करके दोहरे लाभ की आशा की जा सकती है। एक तो इससे कार्यकुशलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह भी शिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो। हिमाचल प्रदेश में कार्यरत कामगारों को शिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेशक, कामगार शिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है। श्रमायुक्त इस बोर्ड के सदस्य हैं।

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्न्तगत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेश सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये है। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण शिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला शिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल स्पिति का काजा उप–मण्डल ह तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय अधिकरण धर्मशाला में वर्ष 2003 से स्थापित किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लु तथा लाहौल स्पिति का लाहौल भाग शामिल है। इन न्यायालयों में औधोगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत जिला एवं सत्र न्यायधीश के पद के बराबर के एक–एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैः–

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	2
2.	वरिष्ठ आशुलिपिक	2
3.	स्टैनो टाईपिस्ट	2
4.	वरिष्ठ सहायक–एवं–रीडर	4
5.	अहलमद	4
6.	चालक	2
7.	दफ्तरी	2
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	2
9.	स्वीपर–कम–चौकीदार	1

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिये औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अर्न्तगत को गई है। मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को श्रम विभाग इन श्रम न्यायालयों एवं न्याय प्राधिकरणों को न्याय निर्णय हेतु अधिसूचित करता है। इसके अतिरिक्त कामगार देय राशि भुगतान प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र सीधे तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के अर्न्तगत श्रम न्यायालय में दायर दिये जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक प्राधिकरण की शक्तियां दी गई हैं जबकि कई अन्य राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक प्राधिकरण अलग–अलग हैं। श्रम न्यायालय एंव आद्योगिक प्राधिकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अर्न्तगत दावों पर भी निर्णय करता है।

उपरोक्त न्यायालय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर भी प्रदेश के मजदूरों के दावों की सुनवाई करके न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि कामगार जो दूर–दराज़ के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अपने मुकदमों की पैरवी के लिये शिमला/धर्मशाला नहीं आ सकते हैं। सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है ताकि

मजदूरों को न्याय मिल सके। ये न्यायालय मजदूरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

1.4.2013 से 31.3.2014 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	विवरण	सन्दर्भ	आवेदन	जोड़
1	1.4.2013 को लम्बित मामले	570	148	718
2	1.4.2013 से 31.3.2014 तक प्राप्त मामले	512	256	768
3	31.3.2014 को कुल मामले	1082	404	1486
4	1.4.2013 से 31.3.2014 तक निपटाये गये मामले	495	220	715
5	31.3.2014 को लम्बित मामले	587	184	771

विभाग में वर्ष 1994 में विधि सहायक का पद उपलब्ध करवाया गया जो कि वर्ष 2007 में विधि अधिकारी (राजपत्रित श्रेणी–II) के नाम से पुनः नामित किया गया। तदनुसार निदशालय स्तर पर एक विधि कक्ष की स्थापना की गई जो कि माननीय न्यायालय के मामलों में एंव शाखा अधिकारी की आवश्यकता अनुसार कानूनी सलाह प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग में विधि अधिकारी का एकमात्र पद है और उसे सरकारी स्तर पर सरकार तथा श्रम एंव रोज़गार विभाग से सम्बन्धित सभी मामलों को देखना होता है। दिनांक 1–4–2013 से 31–3–2014 की अवधि के दौरान विभिन्न न्यायालयों से कुल 174 मामले विधि अधिकारी को प्राप्त हुये । इसके अतिरिक्त इस अवधि के दौरान विधि अधिकारी के द्वारा 221 मामलों की सुनवाई में उपस्थिति दी गई तथा 17 मामलों के सम्बन्ध में विधि परामर्श दिया गया।

दिनांक 1–4–2013 से 31–3–2014 तक निदेशालय श्रम एंव रोज़गार, हि0 प्र0 के न्यायलय में मामलों का विवरणः–

क्रमांक	माननीय न्यायालय का नाम	31–3–2013 तक कुल लम्बित मामलें	31–4–2013 से 31–3–2014 तक प्राप्त कुल मामले	31–3–2014 तक कुल मामले	31–3–2014 तक कुल निपटाये गये मामले	31–3–2014 को कुल लम्बित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	22	1	23	4	19
2.	हि0 प्र0 उच्च न्यायालय	880	171	1051	622	429
2.	अवर श्रेणी न्यायालय	22	2	24	5	19
	कुल	924	174	1098	631	467

31–3–2014 तक लम्बित मामलों का ब्यौराः–

क्रमांक	थ्ववाद	संख्या
1.	औद्योगिक विवादों के विरूद्व सन्र्दभों से सम्बन्धित	85
2.	माननीय श्रम न्यायालयों के अधिनिर्णय के विरूद्व	51
3.	सेवा मामलों से सम्बन्धित	36
4.	न्याय अधिकरण से उच्च न्यायलय में स्थानांतरित मामलों के विरूद्व	84
5.	श्रम कानूनों से सम्बन्धित अन्य मामले	191
6.	भवन एंव अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण/उपकर अधिनियम से सम्बन्धित	20
	कुलः	467

नोटः– माननीय उच्च न्यायालय के वैवसाईट पर ऑनलाईन स्थिति तथा माननीय महाधिवक्ता की लिटिगेशन मोनिटरिंग सिस्टम (एल0एम0एस0) पद्वति के अनुसार दिनांक 30–6–2012 तक अन्य न्यायालयों से सम्बन्धित 109 मामले निपटाये जा चुके हैं, परन्तु उपरोक्त मामलों में अन्तिम आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुये हैं।

अध्याय–4
रोज़गार खण्ड

हिमाचल प्रदेश में इस समय 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र व 55 उप रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं। ये रोज़गार कार्यालय अभ्यर्थियों/जनता को पंजीकरण, सेवा नियोजन, व्यावसायिक मार्गदर्शन सूचना देने में सहायता करते हैं व रोजगार बाजार सूचना भी एकत्रित करते हैं।

1–4–2013 से 31–3–2014 तक जिलावार रोज़गार कार्यालयों द्वारा किए गए कार्य का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

क्र• स•	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियॉं			सम्प्रेषण			सेवा नियोजन			सजीव पंजीका (पंजीकृत आवेदकों की संख्या)
			सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	सरकारी क्षेत्र	निजि क्षत्र	कुल	57675
1.	बिलासपुर	18274	25	–	25	2344	1113	3457	12	636	648	57675
2.	चम्बा	19808	191	11	202	1828	4125	5953	17	686	704	64953
3.	हमीरपुर	22443	112	–	112	3274	2149	5423	52	249	301	87087
4.	कांगड़ा	52596	306	185	491	13940	7259	21199	53	811	864	228420
5.	किन्नौर	2913	–	–	–	69	–	69	13	–	13	8202
6.	कुल्लू	15862	15	4	19	1396	384	1780	–	–	–	65149

7.	लाहौल स्पिति	1538	49	—	49	1016	—	1016	53	—	53	3733
8.	मण्डी	56682	6	27	33	7930	4825	12755	81	194	275	207667
9.	शिमला	26501	2299	23	2322	2433	914	3347	82	2	84	96263
10.	सिरमौर	25588	142	555	702	2025	6372	8397	—	11	11	59997
11.	सोलन	17142	119	984	1103	1692	9158	10850	86	—563	649	65314
12.	ऊना	18556	180	281	461	3880	2775	6655	209	385	594	68142
	जोड़	277903	3449	2070	5519	41827	39074	80901	658	3538	4196	1012602

शिक्षावार विभाजन

स्नातकोत्तर	74178
स्नातक	144050
दसवीं व उपर स्नातक से कम	707716
दसवीं से कम पढे लिखे	85056
अनपढ़	1602
कुल योग	1012602

जाति वार विभाजन

अनुसूचित जाति	217215
अनुसूचित जन जाति	42879
टो॰बी॰सी॰	87881
अन्य	664627
कुल योग	1012602

स्त्री/ पुरूष विभाजन

पुरूष	613958
स्त्री	398644
कुल योग	1012602

शहरी ग्रामीण विभाजन

शहरी	164944
ग्रामीण	847658
कुल योग़	1012602

कौशल विकास भत्ता योजना, 2013:

(अ) माननीय मुख्यमन्त्री, हि0प्र0 के 2013–14 के बजट अभिभाषण उपरान्त कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 को हि0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–श्रम(डी) 1–2/2013 दिनांक 21.5.2013 द्वारा अधिसूचित कर लागू किया गया। यह योजना हि0प्र0 सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2013–2014 के लिए रु0 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया।

योजना का उदेश्य हि0प्र0 के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के माध्यम से रोजगार प्राप्त करने की क्षमता बढाने हेतू सहायता करना है। योजना के अन्तर्गत उन पात्र युवाओं, जो **कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर रह हैं** को **कौशल विकास भत्ता** रु0 1000/– प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिशत स्थायी विकलांग आवेदकों को रु0 1500/– प्रतिमाह की दर से **प्रशिक्षण की अवधी या अधिकतम दो वर्ष** तक देय है।

(ब) योजना को और प्रभावी बनाने के उदेश्य से सरकार ने अधिसूचना संख्याःश्रम(एफ) 1–2/2013, दिनांक 13.12.2013 के अन्तर्गत उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय सिमितियों का गठन किया व उन्हे निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों को योजना के अन्तर्गत सूचीबद्ध करने हेतू प्राधिकृत किया गया । योजना के लिए पात्रताएं निम्न लिखित हैः

1. आवेदक हिमाचल प्रदेश का वास्तविक निवासी हो,
2. आवेदक बेरोजगार (न सरकारी, न निजी रोज़गार, न ही स्वरोजगार) हो,
3. आवेदक कम से कम 8वीं उतीर्ण हो (रा़जमिस्त्री, बढ़ई, लुहार व पलम्बर इत्यादि में प्रशिक्षण लेने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए भत्ते हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता अपेक्षित नहीं होगी)
4. आयु 16 से 36 वर्ष हो,
5. पारिवरिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम हो,
6. आवेदन की तिथि को हि0प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो,
7. कौशल विकास पाठ्यकम में नामांकित हो।

(स) कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 के कार्यान्वयन हेतू व इसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में अधिक से अधिक पात्र आवेदकों को लाने हेतू विभाग लगातार प्रयासरत रहा। जिसके लिए विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों तथा विभिन्न स्टेकहोल्डरज़ के साथ बैठकों का आयोजन किया गया। योजना का समाचार पत्रों, फलैक्स बैनरज़/होर्डिगंज़, रेडियो, पोस्टरज़, एस एम एस संदेश व विभिन्न विभागों/ निगमों आदि के माध्यमों से प्रभावी ढंग से प्रचार किया किया गया। परिणामस्वरुप दिनांक (वितीय वर्ष 2013–14 में) 31.03.2014 तक कौशल विकास भत्ता योजना के अर्न्तगत 42,077 लाभार्थियों को रु0 13 करोड़ 96 लाख 48 हजार 5 सौ की धन राशि वितरित की गई जिसका जिलाबार ब्यौरा निम्न प्रकार हैः

क0 स0	जिला का नाम	लाभार्थियों की संख्या	वितरित कौशल विकास भत्ता राशि (रूपये में)
1.	सिरमौर	7,197	2,06,78,500=00
2.	बिलासपुर	3,745	1,73,74,500=00
3.	हमीरपुर	4,943	1,67,76,500=00
4.	सोलन	3,387	1,12,14,500=00
5.	कुल्लू	3,017	1,17,86,500=00
6.	ऊना	3,053	1,13,57,000=00
7.	क्यगड़ा	7,449	2,77,95,500=00
8.	चम्बा	2,009	70,09,000=00
9.	मण्डी	5,712	86,19,000=00
10.	किन्नौर	196	9,36,000=00
11.	शिमला	1,317	58,21,000=00
12.	लाहौल स्पिति	52	2,80,000=00
	कुल	**42,077**	**13,96,48,500=00**

<u>श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में स्थापित विशेष रोज़गार कार्यालय (अंपगों हेतु), द्वारा वर्ष 2013–14 में किये गये कार्यकलापों का विवरणः</u>

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष, 1976 में विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई है।

समाज के इस वर्ग को कई प्रकार की सुविधाऐं/रियायतें दी गई है जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षा, सरकारी नौकरियों में उपरी आयु–सीमा में 5 वर्ष की छूट, उपरी अंगों की (हाथ तथा बाजु) अपंगता होने पर टंकण परीक्षा पास करने से छूट है तथा विकलागों के लिये आरक्षण निम्न प्रकार से हैः–

क्रमांक	आरक्षण की श्रेणी	प्रतिशत
1.	प्रथम, द्वितीय, तृतीय एंव चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण	3 प्रतिशत
2.	महिलाओं के लिये खोले गये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों व सिलाई कटाई केन्द्रों में आरक्षण	5 प्रतिशत

आरक्षित रिक्तियों के लिए साक्षात्कार में उपस्थित होने के लिए अपंग तथा उनके अनुरक्षकों को यात्रा–भत्ता देने का प्रावधान है।

निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारी संरक्षक और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के तहत नियोक्ताओं के अभिलेख, रोस्टर प्वांईट को चैक करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।

विशेष रोज़गार कार्यालय (अंपगों हेतु), द्वारा वर्ष 2013–14 में किये गये कार्यकलापों का विवरणः

क्र0सं0	पंजीकरण	अधिसूचित आरक्षित रिक्तियॉ	नियुक्तियों के विरूद्व सम्प्रेषण	सेवा नियोजन	सजीव पंजीका
1	1,676	162	217	57	17,502

व्यावसायिक मार्गदर्शन संगठन तथा रोजगार परामर्शः

श्रम एवं रोज़गार विभाग के अधीन इस समय चार व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं जिनमें से एक निदेशालय में स्थित राज्य व्यावसायिक मार्गदर्शन केन्द्र है तथा शेष तीन केन्द्र, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय शिमला, मण्डी व धर्मशाला में स्थित हैं। इसके अतिरिक्त दो विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्र, पालमपुर व शिमला में स्थित हैं। इन केन्द्रों द्वारा रोज़गार के सन्दर्भ में आवेदकों का पंजीकरण व उनको व्यावसायिक मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्याःश्रम (एम्प) 16/6/93–1, दिनांकः31–1–2006 द्वारा जिला स्तर पर सूचना एंव मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना उपायुक्त की अध्यक्षता में की है जिसका कार्य आवेदकों को राज्य के सरकारी/निजी क्षेत्र में रोजगार व स्व–रोज़गार सहायता प्रदान करना है। प्रदेश के प्रतिष्ठानों व शिक्षण संस्थानों में व्यावसायिक मार्गदर्शन कैम्पों का आयोजन किया जाता है।

1–4–2013 से 31–3–2014 तक इन व्यावसायिक केन्द्रों तथा अधीनस्थ रोज़गार कार्यालयों द्वारा व्यावसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित निम्न कार्य किये गयेः–

1. 2013–14 में विभाग को व्यावसायिक मार्गदर्शन के लिये `9,40,000/– का बजट आबंटित किया गया तथा इस वित्त वर्ष में 280 व्यावसायिक मार्गदर्शन कैम्प आयोजित किये गये। (जिला रोज़गार अधिकारियों द्वारा 232 तथा उप–क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी, अनु0 जाति/अनु0 जन जाति हेतु अध्यापन सह मार्गदर्शन केन्द्र मण्डी द्वारा 48)
2. केन्द्र सरकार के सहयोग से जिला मुख्यालय मण्डी में अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जन–जाति के युवाओं के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है जिसमें हिन्दी में टंकण, स्टैनो आशुलिपि तथा कम्पयूटर में निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। इस वित्तिय वर्ष में 150 लोगों को प्रशिक्षिण दिया गया है।

विभाग के प्रपत्रां को छपवाने का कार्य भी इसी शाखा द्वारा किया जाता है जिसके तहत कौशल विकास भत्ते के फार्म 10,50,000, पोस्टर 28,000, जिसमें 150 रजिस्टर–250, X-64–50, X-ण्–3,50,000, X-10–50,000 फार्म तथा कार्यालय में प्रयोग होने वाले अन्य फार्म छपवाये गये, जिसके लिये `9,09,825/–का बजट प्रावधान रखा गया था, तथा पूरे बजट को व्यय किया गया।

केन्द्रीय रोज़गार कक्ष की गतिविधियॉः

हिमाचल प्रदेश के इच्छुक युवाओं को निजि क्षेत्र में रोज़गार उपलब्ध करवाने की कड़ी में केन्द्रीय रोज़गार कक्ष ने वर्ष, 2013–14 में अपने कार्यों को विस्तार देने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजि क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन–शक्ति की मांग को पूरा करने के प्रयास किये गये।

केन्द्रीय रोज़गार कक्ष के वर्ष 2013–14 के कार्य कलापों का लेखा–जोखा निम्न प्राकर से हैः–

रिक्तियों की अधिसूचना	आवेदकों का सम्प्रेषण	सेवा नियोजन
96	1100	14

राज्य में स्थित रोज़गार कार्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू करवाये गये ताकि निजी क्षेत्र में अकुशल कामगारों की मांग को पूरा किया जा सके।

वर्ष	कैम्पस इन्टरव्यू	सेवा नियोजन
2013–14	153	2156

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश के भिन्न–2 स्थानों में 11 रोज़गार मेलों का आयोजन किया गया जिसमें 4218 आवेदकों का सेवा नियोजन किया गया।

हिमाचल प्रदेश में स्थापित उद्योगों तथा हाईड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजैक्टों में हिमाचलियों को 70 प्रतिशत रोज़गार की मोनिटरिंगः

विभाग के क्षेत्रीय राज़गार अधिकारी/जिला रोज़गार अधिकारी/श्रम अधिकारी तथा श्रम निरीक्षकों को निर्देश जारी किये गये हैं कि अपनी सामान्य निरीक्षण प्रकिया के दौरान उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत हिमाचलियों को रोज़गार के विषय को भी देखेंगें। जिन उद्योगों तथा जल–विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिशत से कम हिमाचलियों को रोज़गार दिया गया है उनकी सूचना उद्योग विभाग तथा एमपीपी एण्ड पावर को भेजी जाती है। अभी तक 163 उद्योगों तथा 20 जल विद्युत परियोजनाओं जिनमें 70 प्रतिशत से कम हिमाचलियों को रोज़गार दिया गया है की सूचना उद्योग विभाग तथा एम0पी0पी0 एण्ड पावर विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार को भेजी गई है।

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रमः

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत क्षेत्रीय/जिला रोज़गार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के रोज़गार से सम्बन्धित सूचना नियमित रुप से एकत्रित करते हैं। रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत प्रदेश में जिला स्तर पर रोज़गार के आंकड़े वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थ व्यवस्था के संगठित क्षेत्र को व्यक्त करता है जो कि अन्य बातों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों व निजि क्षेत्र के उन नियोक्ताओं जिनके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि कार्यकम से सम्बन्धित नहीं हैं, उनसे ये ऑकड़े रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के तहत एकत्रित किये जाते हैं। इस विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में स्थापित निजि क्षेत्र की ईकाईयों में अधिक से अधिक हिमाचली युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो । रोज़गार कार्यालय द्वारा निजि क्षेत्र की विशेषकर नई ईकाईयों से सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है, व उन्हें रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अर्न्तगत

अनिवार्य रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के 338 निरीक्षण किए गए हैं।

थ्नजि क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	कुल निरीक्षण
135	203	338

रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अर्न्तगत रोजगार की स्थिति का विश्लेषण विभाग द्वारा समय–समय पर भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों में किया गया है, जिनका विवरण निम्न प्रकार से हैः–

अवधि त्रैमासान्त	प्रतिष्ठानों की संख्या		अनुमानित रोजगार	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
त्रैमासान्त मार्च/12	4014	1524	267386	129418
त्रैमासान्त मार्च/13	4181	1661	270955	139834

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच अंगों में त्रैमासान्त मार्च,2013 में नियोक्ताओं की संख्या एंव अनुमानित रोज़गार :–

अवधि त्रैमासान्त	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		अर्ध–सरकारी केन्द्रीय		अर्ध–सरकारी राज्य		स्थानीय निकाय	
	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार
मार्च/12	126	12495	2638	190110	712	18497	477	42541	61	3743
मार्च/13	129	11544	2750	193697	740	19356	499	42646	63	3712

निजी क्षेत्र में 2013ै में नियोक्ताओं की संख्या एंव अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान		लघु संस्थान	
	25 या अधिक कर्मचारी वाले		10 से 24 कर्मचारियों वाले	
	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित. रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार
त्रैमासान्त मार्च/12	1019	121436	505	7962
त्रैमासान्त मार्च/13	1073	130795	588	9039

सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च, 2013 में औद्यौगिक वर्गीकरण में संस्थानों की संख्या एंव अनुमानित रोजगारः–

त्रैमासान्त मार्च,2012					
		सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
		प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार
1.	कृषि, शिकार, वानिकी एंव पशु व्यवसाय	151	17344	10	407
2.	मतस्य शिकार	12	258	0	0
3.	खनिज एंव खाद्य	5	80	2	76
4.	उत्पादन	49	1812	1055	111007
5.	विद्युत गैस एंव जल	167	33758	40	3775

6.	निर्माण	137	41004	18	2526
7.	थोक, व्यक्तिगत एवं घर–गृहस्थ सामान एंव परचून व्यापार	26	846	39	1485
8.	होटल एंव रेस्तरां	13	762	126	4066
9.	यातायात, संचार एंव भण्डार	56	17053	17	1189
10.	वित्तिय बीमा	862	11566	23	457
11.	सम्पदा, लगान,व्यवसाय कार्यकलाप	60	2547	5	447
12.	लोक प्रशासन, रक्षा,सामाजिक एंव व्यक्तिगत समस्यायें	711	49842	1	32
13.	शिक्षा	1673	72610	303	13060
14.	स्वास्थ्य एंव सम्बन्धित कार्य	206	20575	21	1283
15.	अन्य समाजिक एंव व्यक्तिगत सेवायें	53	898	1	24
	कुल	4181	270955	1661	139834

वर्ष 2012–13 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोज़गार के त्वरित अनुमान।
त्रैमासान्त मार्च,2012 के दौरान रोज़गार।

विवरण–1

त्रैमासान्त मार्च 2013 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर,2012 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	
270955	139834	410789	409088

औसत महिला रोज़गार

विवरण–2

त्रैमासान्त मार्च 2013 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर,2012 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजि क्षेत्र	कुल	
60106	19898	80004	79345

कुल औसत तुलनात्मक रोज़गार

विवरण–3

त्रैमासान्त मार्च,2013 को कुल रोज़गार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिशत परिवर्तन
त्रैमासान्त 30–03–2012 को कुल रोज़गार	त्रैमासान्त 31–03–2013 को कुल रोज़गार	
396804	410789	3.5

कुल औसत तुलनात्मक रोज़गार (महिला)

विवरण–4

त्रैमासान्त मार्च,2013 को कुल रोज़गार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिशत परिवर्तन
त्रैमासान्त 30–03–2012 को कुल रोज़गार	त्रैमासान्त 31–03–2013 को कुल रोज़गार	
76248	80004	4926

श्रम एवं रोज़गार विभाग के अर्न्तगत बनाये जा रहे भवनों का विवरणः

श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन 109 कार्यालय कार्यरत हैं।

(क) विभागीय 23 कार्यालय जो सरकारी भवनों में हैः

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण शिमला तथा धर्मशाला, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय मण्डी तथा शिमला, विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एंव मार्गदर्शन ब्यूरो शिमला एंव पालमपुर जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा, तथा रिकांग–पीओ, श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी, बद्दी तथा रामपुर बुशैहर, श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुशैहर, मण्डी, परवाणु, नालागढ, बद्दी, तथा पांवटा साहिब एवं उप रोज़गार कार्यालय रामपुर बुशैहर, नालागढ, भरमौर, डोडरा–क्वार, काज़ा एंव चिड़गांव।

(ख) विभागीय 42 कार्यालय जो विभागीय भवनों में हैः

श्रम एवं रोजगार निदेशालय शिमला, उप–निदेशक कारखाना शिमला, उप–निदेशक कारखाना ऊना, क्षेत्रीय रोज़ग़ार कार्यालय धर्मशाला, जिला रोज़गार कार्यालय ऊना, बिलासपुर, नाहन, कुल्लु, श्रम कार्यालय धर्मशाला, बिलासपुर, कुल्लू एंव श्रम निरीक्षक कार्यालय, धर्मशाला, बिलासपुर, कुल्लु, अम्ब, सुन्दरनगर, पालमपुर, देहरा, नूरपुर व नाहन तथा उप–रोज़गार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, गोहर, बैजनाथ, पालमपुर, देहरा, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर, पूह, संगड़ाह, सुजानपुर टिहरा, ज्वाली, राजगढ़, चुवाडी एंव फतेहपुर।

(ग) विभागीय 8 कार्यालय जो निर्माणाधीन हैं:

प्रदेश के विभिन्न स्थानों में स्थित कार्यालयों के लिए विभाग द्वारा विभागीय भवन बनवाने का कार्य किया गया है। इनमें उप–रोज़गार कार्यालय उदयपुर, चौपाल, नालागढ़ एंव श्रम निरीक्षक कार्यालय नालागढ़ व जिला रोज़गार कार्यालय/श्रम कार्यालय एंव श्रम निरीक्षक कार्यालय,सोलन हैं।

शेष कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।

Budget & Actual Expenditure Statement Figures
Demand No:27-Labour,Employment & Training.

S. No.	Head of Account	Sactioned Budget 2013-14 (in `)		Actual Expenditure 2013-14 (in `)	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01-Labour,001-Direction & Administration, 01-Staff at the Hqrs.				
		-	97,59,000	-	95,57,104
2.	01-Labour,101-Industrial Relaltions, 01-Enforcement of Labour Laws.				
			2,82,34,000	-	2,67,02,979
3.	01-Labour,101-Industrial Relations, 03-Wage Board				
		-	9,000		8,992
4.	01-Labour,102-Working Conditions & Saftey,01-Inspectorate of Factories.				
		-	9,85,000		9,71,424

5.	**01-Labour,103-General Labour Welfare, 01-Education**				
		-	**1,59,000**	**-**	**-**
6.	**02-Employment, 001-Direction & Administration-01-Staff at the Directorate of the Employment.**				
		-	**49,64,000**	**-**	**36,22,793**
7.	**02-Employment,004-Research ,Survey & Statistics, 01-Collection of EMI**				
		5,60,000	**61,30,000**	**5,60,000**	**51,50,615**
8.	**02-Employment,101-Employment Services, 01-Extension Coverage of Employment Services.**				
		-	**6,86,71,000**	**-**	**5,94,60,637**
9.	**02-Employment,101-Employment Services, 02-Vocational Guidance & Employment Counselling.**				
		18,40,000	**23,02,000**	**16,23,061**	**17,98,220**
10.	**02-Employment,101-Employment Services, 03-University Employment Information & Guidance Bureau.**				
		-	**5,14,000**	**-**	**99,640**
11.	**02-Employment,101-Employment Services, 05-Special Employment Exchanges(Scheduled Castes)**				
		-	**7,11,000**	**-**	**7,47,811**
12.	**03-Training, 003-Training of Craftsman & Instructors, 09-Skill Development Allowance.**				
		09,07,01,000	**89,92,99,000**	**12,36,818**	**14,24,24,337**
13.	**2059-Minor Works-01-053-42**				
		-	**1,000**	**-**	**-**
13.	**4250-Capital Works**				
		35,00,000	**-**	**13,01,100**	**-**
14.	**2235-Pensioners of Labour & Employment Department.**				
		-	**16,74,000**	**-**	**16,73,648**
	Total:	**9,66,01,000**	**1,02,34,12,000**	**47,20,979**	**25,22,18,200**

BUDGET & ACTUAL EXPENDITURE STATEMENT FIGURES DEMAND NO-31-TRIBAL DEVELOPMENT

1.	**01-Labour, 796-Tribal Area-Sub-Plan,01-Expenditure on inforcement of Labour Laws**				
		1,60,000	**27,37,000**	**1,11,414**	**15,80,080**
2	**02-Employment,796-Tribal Area Sub Plan, 01-Expenditure on Employmen Services**				
		8,40,000	**43,72,000**	**8,02,646**	**36,86,763**
3,	**03-Training, Tribal Area Sub Plan, 06-Skill Development Allowance**				
		93,00,000	**7,00,000**	**7,26,890**	**5,37,457**
	TOTAL	**1,03,00,000**	**78,09,000**	**16,40,950**	**58,04,300**

Receipt Major Head-0230

	Head of Account	**F.Y.2013-14 Actual Receipt (in `)**
1.	**0230-00-101-01 Under Labour Laws**	**6,083**
2.	**0230-00-102-01 Regn. Of Trade**	**465**

	Union	
3.	**0230-00-104-01 Fees Under Factory Act**	**3,22,30,587**
4.	**0230-00-106-001 Fees Under Contract Labour Act**	**5,66,576**
5.	**0230-00-800-01 Fees Under Motor Transport Act**	**1,20,583**
6.	**0230-00-800-02 Fees Under Shops & Comm.Establishment Act**	**50,54,972**
7.	**0230-00-800-05 Recovery of Over Payment**	**46,733**
8.	**0230-00-800-07-Others Misc Recovery**	**86282**
9.	**0230-00-800-10-Cess**	**45,57,467**
	Total:	**4,26,69,748**

Right to Information

Government of Himachal Pradesh
Department of Labour & Employment

No.Shram(A)4-2/2005 Dated: Shimla:171001 the 10th April,2007.

Notification

In exercise of the power conferred by clause (b) of Sub section (1) of section 4 of the Right of Information Act,2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the records and other activities of the Labour & Employment Department, as under :-

	The particulars of its organisation, functions and duties	The Department of Labour & Employment came into existence in 1972 after segregation from Industries Department. It is mainly responsible for implementation of various Labour Laws (27 Central & 2 State Acts) and for providing employment assistance to job-seekers. The Department has been playing the role of a facilitator and regulator. It comprises of 3 wings- Labour, Factories & Employment. The Labour wing is primarily looking after the welfare, health & safety of the workers in the industrial and commercial establishments. It is also responsible for maintaining industrial peace and harmony between the managements and the workers. The Factory Wing is responsible for approval of Building Plans of factories, issue and renewal of factory licence and inspection of factories to ensure compliance of provisions regarding health, safety and welfare of factory workers. The Employment wing helps the interested job seekers and other persons interested in self employment by way of registration, sponsoring and by providing vocational guidance and career counselling.

2.	The powers and duties of its officers and employees.	Cases which are disposed off at the level of **<u>Secretary (Lab and Emp.) Govt. of HP</u>** i) Establishment matter relating to Lab. & Emp. Deptt/ ii) Lok Sabha/ Rajya Sabha Questions. iii) Court Cases. iv) Budget, Financial matter/ Expenditure sanctions. v) Publication of Awards. **<u>Deputy Secretary</u>** i) All correspondence relating to personnel matters/ financial sanctions etc. are routed through him to the Secretary. ii) Public representations received in this office are forwarded to the concerned departments for report and appropriate action **<u>Section Officer</u>** i) To supervise all the work relating to personnel/ Budget and public representative etc. ii) To ensure all the Dealing Asstt. and Diarist are maintaining all required registers and keep the same updated. iii) To keep carefully watch on the movements of dak files between section and higher authorities. iv) To ensure timely submission of time bound cases/ Court cases. v) To ensure that all manuals, Rules, inspections, guard files etc. of the section are kept up to date. **<u>Superintendent</u>** i) To supervise all the work of dealing Asstts. under their control. **ii)** To ensure timely submission of all papers according to their priority.

		<u>Sr./Jr. Asstt.</u> i) Opening/ maintaining of files and noting and drafting up to date of various types of data and maintenance of various registers. ii) Establishment matters including R & P Rules, maintenance of Service Books, Service records, leave account, pension cases, disciplinary matters, pay fixation, finalisation of seniority, court cases and other misc. matters. **<u>Clerk</u>** i) Diary and despatch/ movement of files weekly & monthly statements etc. ii) Maintenance of leave account and other misc. work entrusted by the S.O.
3-	The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.	All the cases in the Branch are submitted on file by the concerned Dealing Asstts. Supervised by the Supdt. and submitted to the S.O. He submits it further to the Under Secretary then to the Secretary. Routine matters and informatory references are disposed off at S.O./ Under Secretary level. Financial matters/ expenditure sanctions, decision taking power vests with the Secretary.
4.	The norms set by it for the discharge of its functions.	As stated at Point No. 2 & 3.
5.	The Rules, Regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control.	The various rules & Regulations/ instructions followed are as under:- 1. HPFRs 2. CCS & CCA Rules 3. Conduct Rules, 4. Medical Attendance Rules, 5. Delegation of financial powers. 6. LTC Rules/ GPF Rules/ Pension Rules etc. 7. R & P Rules.

		8. Office Manuals.
6.	Statement of the categories of the documents that are held by it or under its controls.	N/A.
7.	The particulars of any arrangement that exists for consultation with representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof.	N.A.
8.	A statement of the Board, Councils Committee & Other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those Boards/ Councils/ Committee and other Bodies are open to the public or	N.A.

	the minutes of such meetings are accessible for public.	
9.	A directory of its officers and employees.	1. Secretary (Lab & Emp.)- Ph.No.2621876, 2880735 2. Deputy Secretary.- Ph.No.2628499, 2880527 3.Senior Private Secretary/P.A.-Ph.No.2621876, 2880735 4. Section Officer-Ph.No.2880444 5. Superintendent- Ph.No.2880544 7. Sr. Asstts.-Ph.No. -do- 8. Jr. Asstt.-Ph.No.-do- 9. Clerks-Ph.No. -do- 10. Peon. -Ph.No. -do-
10.	The monthly remuneration received by each of its officer and employees including the system of compensation as provided in its Regulation.	N.A.
11.	The Budget Allocated to each of its agency indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made.	N.A.
12.	The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details of beneficiaries of such	N.A.

	programmes.	
13.	Particulars of recipients of concessions permits or authorizations granted by it.	N.A.
14.	Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form.	N.A.
15.	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained for public use.	N.A.
16.	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.	This department vide Notification dt. 31.10.05 has already designated the officers of the Lab and Employment Deptt. As Appellate Authority/ Public Information Officer. The said information is also available on the official website of the State Government.
17.	Such other information as may be prescribed.	The list of all the Acts and Rules which are pertaining to the L & E Deptt. is available on the Website of the Deptt.

BY ORDER
Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of HP

Endst. No. Shram(A)4-2/2005 dated Shimla-2 the 10th April,2007

Copy to: -

9. The Principal Secretary (AR) to the Govt. of HP Shimla-2.
10. All the Admn. Secretaries, H.P. Shimnla-2.
11. All the HOD's in HP.
12. All Div. Commissioners,/ DCs in HP
13. The Controller, P & S H.P. Shimla-5, for publication in the Rajpatra (Extra ordinary)
14. Guard File.

Sd/-

Deputy Secretary (Lab.&Emp.)
to the Government of HP

Government of Himachal Pradesh.
Directorate of Labour & Employment

No: Shram(Prastha)11/05 Dated Shimla-171001 July, 2013

OFFICE ORDER

The particulars of the organization, functions and duties etc. required to be published as per provisions of Sub-Section (1)(b)of Sec.4 of the Right to Information Act,2005 are as under:-

(I) Particulars of Labour & Employment Department, its Functions & Duties.

The Department is regulatory in nature and primarily concerned with ensuring the implementation of Labour Acts(26 Central & 2 of the State) and of the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act,1959 and Persons With Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Participations) Act, 1995 . The Labour Wing of the department is primarily responsible for implementation /enforcement of Labour Laws and maintaining Industrial Peace. The Factory Wing is looking after the Registration of Factories, welfare & safety of workers working in such Factories. The Employment Wing gives Employment Assistance, primarily to the youth.

The names of the Labour Acts are as under:-

Bonded Labour System(Abolition) Act, 1976
Contract Labour(Regulation and Abolition)Act, 1970

Child Labour(Regulation and Prohibition)Act, 1986
The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.
Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act,1981
The Building and other construction workers Cess Act,1996
Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
Employees State Insurance Act, 1948.
Equal Remuneration Act, 1976.
Factories Act, 1948.
Industrial Dispute Act, 1947.
Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946.
Interstate Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.
The Labour Laws (Exemption from furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988.
Maternity benefit Act, 1961.
Minimum Wages Act 1948
Motor Transport Workers Act, 1961.
Payment of Bonus Act,1965,
Payment of Gratuity Act, 1972.
Payment of Wages Act 1936,
Plantation Labour Act, 1951.
Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976.
Trade Unions Act, 1926.
Working Journalists and other Newspapers Employees (Condition of Service and Miscellaneous provisions) Act, 1955
Workman Compensation Act, 1923.
26. Employment Exchanges(Compulsary Notification of Vacancies)Act,1959
27. Persons with Disabilities (Full Participation, Equal Opportunities & Protection of Rights) Act,1995.

STATE ACTS

1. Himachal Pradesh Shops & Commercial Establishments Act,1969
2. H.P.Industrial Establishments (National & Festivals Holidays, Casual & Sick leave) Act,1969

(II) Powers and duties of Officers and Employees:

Labour Commissioner- cum Director of Employment is also the Chief Inspector of Factories, Registrar of Trade Unions, Chief Inspector of Shops and Conciliation Officer under Industrial Disputes Act, 1947.

The Directorate monitors the working of the field offices .Registration of Factories is done under the Factories Act,1948 and disputes are referred to the two Labour Courts -cum-Industrial Tribunals in H.P. at Shimla and Dharamshala under the Industrial Disputes Act,1947, Registration of Trade Unions is done under the Trade Union Act,1926

Registration of Motor Transport is done under Motor Transport Act Prosecution sanctions are given to the field functionaries to launch prosecution against the defaulters under various Labour Laws.

Employment Assistance is provided to Physically Handicapped and sponsoring of skilled registrants to private sector, inspection of sub-ordinate offices and Establishments in Private and Public Sector.

POWER & DUTIES:

Labour Commissioner:

Labour Commissioner is functioning as Chief Inspector of Factories, Shops and Commercial Establishments Act, 1969 .The Labour Commissioner is also functioning as Conciliation Officer under the Industrial Disputes Act, 1947 and Registrar Trade Unions under the Trade Unions under the Trade Unions Act, 1926. The Labour Commissioner also functions as Inspector under the various Labour laws and the Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Order) Act.

Joint Labour Commissioner:

The Joint Labour Commissioner is functioning as Additional Chief Inspector of Factories under the Factories Act,1948 and the Certifying Officer under Industrial Employees(Standing Orders)Act, Appellate Authority under the Payment of Gratuity Act and also functioning as Inspector under various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act,1947 for whole H.P.

Deputy Labour Commissioner:

The Deputy Labour Commissioner is functioning as Deputy Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948, Appellate Authority under the Contract Labour Act(R&A)Act,1970, Registering Officer under the Motor Transport Worker Act,1961 and also functioning as Inspector under the various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act,1947 for whole H.P.

Labour Officers & Labour Inspectors:

Labour Officers and Labour Inspectors are also Conciliation Officers for Industrial Disputes .Labour Officers act as controlling authority to decide claims of gratuity under Payment of Wages Act,1970.Registration Officers and licensing officer under Contract -Labour Act(R&A)Act,1970 and Inter

State Migrant Workmen(RECS)Act .Where there are more than 200 workers and Labour Officer is not posted in the District, there District Employment Officers discharge the duty of Conciliation Officer to try and resolve Industrial Dispute arising between management and workers. They also carry out Inspection of Public and Private Sector Units. Labour Officers and Labour Inspectors ensure implementation of Labour Acts including the shops registration, implementation of Minimum Wages and forwarding of cases regarding violation of provision of payment of wages ,Gratuity, Bonus to Directorate for obtaining prosecution sanctions.

Deputy Director of Factories:

Deputy Director of Factories looks after Registration of Factories and Safety & welfare of workers working therein.

EMPLOYMENT SECTION

At the Directorate Labour Commissioner-cum-Director of Employment is assisted by Deputy Director Employment and by Employment Market Information Officer, State Vocational Guidance Officer, Officer in Charge (Placement), (Special Employment Exchange for Physically Handicapped) and Employment Officer (Central Employment Cell).

Regional Employment Officers and District Employment Officers give Vocational Guidance, Career Counseling and Employment Assistance for jobs in Private Sector and Govt. Sector as well as for self employment, to such persons who are residing in their territorial jurisdiction. They also inspect subordinate Employment Exchanges. Private and Public sector establishments in their districts are also inspected by them and Employment Officers, Superintendent Grade-II and Statistical Assistants. In charges of Sub Office Employment Exchanges are also carrying out these functions except that of inspection. The two UEIGBs at HPU Shimla and Chaudhery Sarwan Kumar Himachal Pradesh Agriculture University Palampur are giving vocational guidance mainly to the respective University students.

(III) Procedure followed in decision making process including channels of supervision and accountability:

All offices are working independently but under administrative control of next higher office. They can also be inspected by superior departmental officers .The office of Assistant Director of Factories Una , all University Employment Information Guidance Bureaus , Regional Employment Exchanges,District Employment Exchanges and office of Labour Officers are audited by A.G.Office from time to time.

(IV) The norms set by discharge of its function:

Registration and renewal of registration in Employment Exchange is done on the same day and sponsoring of registrants is also done within scheduled time (Generally four weeks).

(V) The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control:

Being a regulatory department it ensures the implementation of the Acts (and Rules) as mentioned at Sr. No. I hereinabove as also all Rules and instructions of Himachal Pradesh Govt. applicable on the Departments.

(VI) Statement of the categories of the documents:

A statement of the categories of the documents that are held by it or under its control. Files related to ensuring the implementation the Acts & Rules mentioned against Sr.No.(V)hereinabove. Also files related to Budget, Plan, and Annual Administrative Report etc.

(VII) The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof;

a) State Committee on Employment notified on 30.1.2006 comprising of Hon'ble Employment Minister as Chairman, 16 Members and Director of Employment as Member Secretary includes representatives of Employers workers as well as public representatives.

b) District Committee on Employment notified on 30.1.2006 comprising of respective DCs as Chairman,10 members and respective REOs/DEOs as Member Secretary including representatives of employers, workers and public representatives.

c) **Minimum Wages Advisory Board constituted on 1.9.2003 comprising of Chairman, 37 members and member Secretary and constituted a committee on 30.1.2004 comprising of Chairman, 11 members and member Secretary.**

d) **Expert Committee under Building and Construction Act constituted on 24 Sep,2003 comprising of Chairman,9 members and member secretary**

e) **Regional Board for H.P. Region under ESI Act,1948 which consist of a Chairman,Vice-Chairman, 3 members, Ex-Officio member, 2 Employees Representative,6 Employers Additional Representative and member Secretary.**

f) **Regional Committee for State of H.P. under Employee Provident Fund Scheme, 1952 which consists of Chairman. 2 official members, 5 members of employers representative, 5 members of Employees representatives**

g) **Three local committees under Regional Board constituted under ESI(Gen)Regulation,1950 consisting following members: Chairman, Member ,Labour Inspector, Medical Officer, Incharge 4 members of Factory & Branch Manager, ESI Corporation.**

h) **State level Tripartite Committee which consist of Chaiman, Vice-Chairman, 14 members and Member Secretary.**

i) **State Advisory Contract Labour Board consisting Chairman,7 members, Member Secretary.**

j) **State Labour Welfare Board consisting Chairman (Chief Minister)112 Members and Member Secretary.**

(VIII) A statement of the board, councils committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards ,councils ,committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.

As mentioned against item no (vii) hereinabove meetings are not open to public as such However, due care has been taken to involve all the stake holders.

(IX) A Directory of Officers and Employees:

	Name of the Officer	Designation	Office Telephone Nos.
1.	Ms. Nandita Gupta, IAS	Labour Commissioner-cum-Director of Employment, H.P .	0177-2625085
2.	Sh. A.K.Sood	Deputy Director Factories, Directorate	0177-2624157
3.	Sh. Sudesh Kumar Dhiman	Deputy Director Factories, Una	01975-224095
4.	Sh. S.K.Kaushal	Joint Labour Commissioner-1, Directorate	0177-2624157
5.	Sh. T.R.Azad	Deputy Labour Commissioner-II, Directorate.	0177-2624305
6.	Sh. Krishan Kumar Sharma	Employment Officer, Central Employment Cell, and State Vocational Guidance Officer holding additional charge of Dy.Director Employment.	0177-2620229
7.	Smt. Nirmala Sharma	District Employment Officer, Solan	01792-223746
8.	Smt.Sangeeta Gupta	District Employment Officer, Shimla	0177-2658174
9.	Sh.R.C.Katoch	District Employment Officer, Una	01975-226063
10.	Sh. G.D.Kalta	Officer Incharge Placement (Physically Handicapped Cell) and Employment Market Information Officer,	0177-2625277
11.	Sh.Yog Raj Dhiman	District Employment Officer, Hamirpur	01972-222318
12.	Sh.Joginder Singh Patial	District Employment Officer, Kangra	01892-224892
13.	Sh. V.P.Rana	District Employment Officer, Keylong	01900-222252
14.	Sh. Rajesh Panghania (Labour Officer)	Additional charge of District Employment Exchange, Kullu	01902-222522
15.	Sh. Anurag Sharma	Additional Charge of District Employment Officer, Rekong-Peo	01786-222291
16.	Sh.J.S.Bindra (Labour Officer)	Additional Charge of District Employment Exchange, Sirmour at Nahan	01702-222274
17.	Sh. Prem Singh Chambyal	Additional Charge of District Employment Officer, Chamba	01899-222209
18.	Sh.Rajinder Singh (Labour Officer)	Additional Charge of District Employment Officer, Bilaspur	01978-222450
19.	Sh. Man Chand Thakur	Employment Officer, Mandi	01905-235508
20.	Sh. R.P.Rana	Labour Officer, Mandi	01905-225329

21.	**Sh.Pratap Singh Verma**	**Labour Officer, Solan**	**01792-235542**
22.	**Sh. Rajesh Panghania**	**Labour Officer, Kullu**	**01902-223698**
23.	**Sh. Anurag Sharma**	**Labour Officer, Reckong Peo**	**01786-222007**
24.	**Sh. Munish Karol**	**Labour Officer, Una**	**01975-224243**
25.	**Sh. J.S.Bindra**	**Labour Officer, Sirmour at Nahan**	**01702-226144**
26.	**Sh. Raj Kumar**	**Labour Officer, Dharamshala**	**01892-223745**
27.	**Sh. Prem Singh Chambyal**	**Labour Officer, Chamba**	**01899-223233**
28.	**Sh. Puran Chand**	**Labour Officer, Baddi**	**01795-271210**
29.	**Sh. Rajinder Singh**	**Labour Officer, Bilaspur**	**01978-221516**
30.	**Sh.Chander Mani Sharma**	**Labour Officer, Rampur**	**01782-234286**
31.	**Sh.Pyare Lal**	**Labour Officer, Shimla Zone, Shimla**	**0177-2624706**

(X) The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in its regulations.

Post	**Pay Scale**
Labour Commissioner-cum-Director of Employment, IAS.	**15600-39100+7600 G.P.**
Deputy Director of Factories	**15600-39100+7800 G.P.**
Joint Labour Commissioner	**15600-39100+6600 G.P.**
Deputy Labour Commissioner	**10300-34800+5400 G.P.**
Deputy Director of Employment	**10300-34800+5400 G.P.**
District Employment Officers	**10300-34800+5400 G.P.**
Regional Employment Officers	**10300-34800+5000 G.P.**
Superintendent Grade-I	**10300-34800+5400 G.P.**
Labour Officers	**10300-34800+4400 G.P.**
Employment Officers	**10300-34800+4400 G.P.**
Law Officer	**10300-34800+4200 G.P.**
Superintendent Grade-II	**10300-34800+4800 G.P.**
Personal Assistant	**10300-34800+4800 G.P.**
Senior Scale Stenographer	**10300-34800+4400 G.P.**
Statistical Assistant	**10300-34800+3800 G.P.**

Senior Assistant	**10300-34800+4400 G.P.**
Labour Inspectors	**10300-34800+4200 G.P.**
Computer Operator	**10300-34800+3200 G.P.**
Junior Assistant	**10300-34800+3600 G.P.**
Junior Scale Steno	**10300-34800+3200 G.P.**
Driver	**5910-20200+2000 G.P.**
Steno-typist	**5910-20200+2000 G.P.**
Clerk	**5910-20200+1900 G.P**
Daftri	**4900-10680+1400 G.P.**
Peon, Chowkidar & Sweeper	**4900-10680+1300 G.P.**
Frash	**4900-10680+1300 G.P.**

(XI) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans ,proposed expenditures and reports on disbursement s made;

Standard Object of Expenditure wise budget is allocated to each Drawing and Disbursing Officer and expenditure is regularly monitored.

(XII) The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details beneficiaries of such programmes;

Not Applicable.

(XII) particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it;

Not Applicable.

(XIII) Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form;

Registration record of Regional Employment Exchange Shimla, Registration record of Central Employment Cell at Directorate , Salary disbursement at Directorate.

(XIV) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained, for public use.;

The offices of the department are open to citizens for obtaining information on all working days, especially on all working Mondays when officers are available for meeting the citizens.

(XV) The names, designations and other particulars of the Public Information Officers;

Name of Department: Labour & Employment, Himachal Pradesh

Detail of PIO & Appellate Authority

A	Name of the PIO	Designation	Complete Office Address	Office Telephone Nos.
1.	Sh. A.K.Sood	Deputy Director Factories	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1	0177-2424157
2.	Sh. Krishan Kumar .Sharma	District Employment Officer	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1	0177-2620229
3.	Sh. S.K.Kaushal	Joint Labour Commissioner-I	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1	0177-2624157
4.	Sh. T. R.Azad	Deputy Labour Commissioner	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1	0177-2624157
5.	Sh. Krishan Kumar Sharma	District Employment Officer	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1	0177-2620229
6.	Smt. Nirmala Sharma	District Employment Officer	District Employment Exchange,Solan	01792-223746
7.	Smt.Sangeeta Gupta.	District Employment Officer	Regional Employment Exchange,U.S.Club, Shimla	0177-2658174
8.	Sh.R.C.Katoch	District Employment Officer	District Employment Exchange, Una	01975-226063
9.	Sh. G.D.Kalta,	District Employment Officer	Directorate of Labour & Employment. New Himrus Building, H.P. Shimla-1	0177-2625277
10.	Sh.Yog Raj Dhiman	District Employment Officer	District Employment Exchange, Hamirpur	01972-222318
11.	Sh.Joginder Singh Patial	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Dharamsala.	01892-224892
12.	Sh. V.P.Rana	District Employment Officer	District Employment Exchange, L&S	01900-222252
13.	Sh.Rajesh Panghania (Labour Officer)	Superintendent Grade-II and holding the charge of District	District Employment Exchange Kullu.	01902-222522

		Employment Officer		
14.	**Sh. Anurag Sharma**	**Additional charge of District Employment Officer**	**District Employment Exchange, Kinnaur**	**01786-222291**
15.	**Sh.J.S.Bindra (Labour Officer)**	**Additional Charge of District Employment Officer**	**District Employment Exchange Nahan**	**01702-222274**
16.	**Sh. Prem Singh Chambial**	**Addition19al charge of District Employment Officer**	**District Employment Exchange, Chamba.**	**01899-222209**
17.	**Sh. Rajinder Singh (Labour Officer)**	**Additional Charge of District Employment Officer**	**District Employment Exchange , Bilaspur.**	**01978-222450**
18.	**Sh. Man Chand Thakur**	**Employment Officer holding the additional Charge of District Employment Officer**	**Regional Employment Exchange ,Mandi**	**01905-235508**
19.	**Sh. R.P.Rana**	**Labour Officer, Mandi**	**Labour Office, Mandi**	**01905-235542**
20.	**Sh.Pratap Singh Verma**	**Labour Officer, Solan**	**Labour Office, Solan**	**01792-230745**
21.	**Sh.Rajesh Panghania (Labour Officer)**	**Superintendent Grade-II and holding the charge of District Employment Officer**	**District Employment Exchange Kullu.**	**01902-222522**
22.	**Sh. Anurag Sharma**	**Labour Officer, Reckong Peo**	**Labour Office, Kinnaur at Reckong Peo**	**01786-222007**
23.	**Sh. Munish Karol**	**Labour Officer, Una**	**Labour Office, Una**	**01975-224243**
24.	**Sh. J.S.Bindra**	**Labour Officer, Sirmour at Nahan**	**Labour Office, Sirmour at Nahan**	**01702-226144**
25.	**Sh. Raj Kumar**	**Labour Officer, Dharamshala**	**Labour Office, Dharamshala.**	**01892-225329**
26.	**Sh. Prem Singh**	**Labour Officer,**	**Labour Office, Chamba**	**01899-223233**

	Chambyal	Chamba		
27.	Sh. Puran Chand	Labour Officer, Baddi	Labour Office, Baddi	01795-271210
28.	Sh. Rajinder Singh	Labour Officer, Bilaspur	Labour Office, Bilaspur	01978-221516
29.	Sh.Chander Mani Sharma	Labour Officer, Rampur	Labour Office, Rampur	01782-234286
30.	Sh.Pyare Lal	Labour Officer, Shimla	Labour Office,Shimla Himrus Bhawan,H.P	0177-2624706

B. Appellate Authority

1	Ms. Nandita Gupta, IAS.	Labour Commissioner -cum-Director of Employment, H.P.	New Himrus Bhawan Shimla-171001	0177-2625085

(XVI) such other information may be prescribed; and thereafter update those publications every year.

Annual Administration Report is issued every Financial Year.

Sd/-
Labour Commissioner-cum-
Director of Employment, H.P.

Endst.No:Shram(Prastha)11/05-1 Dated Shimla-171001 June, 2013.
Copy forwarded to the following for information and necessary action:

1. **The Principal Secretary (Labour & Employment) to the Govt. of H.P.Shimla-2**
2. **The Pr. Secretary (AR) to the Government of H.P.Shimla-2.**
3. **All the Head of Departments in Himachal Pradesh.**
4. **All the concerned officers in the Labour & Employment Department, H.P.**
5. **All Officers in the Directorate of Labour & Employment, H.P.**
6. **All the Deputy Commissioners in H.P.**
7. **The Director information Technology, Shimla-171009**
8. **Notice Board.**

Sd/-
Labour Commissioner-cum-
Director of Employment, H.P.